

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

अविनाश कुमार,
सचिव

सेवा में,

अवर सचिव - सह- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, राँची ।

राँची, दिनांक 24-1-14

विषय :- वित्तीय वर्ष 2013-14 के मांग संख्या- 49 जल संसाधन विभाग, मुख्य शीर्ष-2701- मध्यम सिंचाई उप मुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-001 निदेशन तथा प्रशासन, उप शीर्ष-01-मुख्यालय सचिवालय स्थापना मद के अंतर्गत व्यय हेतु निधि का आवंटन।

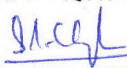
महाशय,

वित्तीय वर्ष 2013-14 में बजट मुख्य शीर्ष 2701- मध्यम सिंचाई के अंतर्गत परिशिष्ट-I में दर्शाये गये लघु शीर्ष /उप शीर्ष /विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्रमांक	मांग संख्या / शीर्ष	मुख्य	उप मुख्य शीर्ष / लघु शीर्ष	उप शीर्ष	आवंटित राशि (लाख ₹ में)
1	2	3	4	5	
1.	मांग संख्या 49 जल संसाधन विभाग / 2701-मध्यम सिंचाई	80 सामान्य / 001-निदेशन तथा प्रशासन	01-मुख्यालय सचिवालय स्थापना		2.00

कुल अतिरिक्त आवंटित राशि - रुपये दो लाख मात्र

- आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2013-14 के बजट उपबंध ₹ 248.90 लाख एवं द्वितीय अनुपूरक (वित्त विभाग का पत्रांक 29/बी० टी० ई०- 08/2013-14/ 419/ बजट दिनांक 21.12.13) से प्राप्त राशि ₹ 2.00 लाख सहित ₹ 250.90 (दो करोड़ पचास लाख नब्बे हजार मात्र) के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98 एवं 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 के आलोक में होगा।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर व्ययन एवं निकासी पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- आवंटित राशि से दिनांक 15.11.2000 के पूर्व का वेतनादि या अन्य दायित्व का भुगतान बिना विभागीय अनुमति के नहीं किया जाय।
- जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगे ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।


(सुरेश प्रसाद भगत)
सहा. अभि.


(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि.)


(एस. के. सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)

7. प्रत्येक निकासी एवं व्यय पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
8. यदि आवंटित गई राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगे। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं किया जायेगा।
9. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
10. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
11. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 15 मार्च 2014 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जलसंसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनु. :- यथोक्त


(अविनाश कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :-

189

रॉची, दिनांक :- 24-1-14

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड पो. - हिनू, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरंडा सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त


(अविनाश कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :-

189

रॉची, दिनांक :- 24-1-14

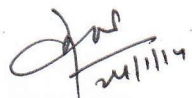
प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/योजना एवं विकास विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/ अभियंता प्रमुख I एवं II, जल संसाधन विभाग/ मुख्य अभियंता (मो.), रॉची/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग/ वेब सूचना प्रबंधक, ज०सं०वि०/सांख्यिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त


(सुरेश प्रसाद भगत)
सहा. अभि.


(सुरेश प्रसाद भगत)
उप सचिव (अभि.)


(एस. के. सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)


(अविनाश कुमार)
सचिव

मांग संख्या-49-जल संसाधन विभाग

परिशिष्ट I

मुख्य शीर्ष-2701-मध्यम सिंचाई / उप मुख्य शीर्ष-80-सामान्य

पत्रांक 189 दिनांक 24-1-14 का अनुलग्नक

लघु शीर्ष-001-निर्देशन तथा प्रशासन / उप शीर्ष-01-मुख्यालय सचिवालय स्थापना

(आवंटित राशि लाख रुपये में)

क० स०	वित्तीय वर्ष 2013-2014	विरुद्ध शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते	विरुद्ध शीर्ष-02-यात्रा व्यय	विरुद्ध शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय								विरुद्ध शीर्ष-04-मोटरगाडियां	विरुद्ध शीर्ष-07-अन्य व्यय	(आवंटित राशि लाख रुपये में)	
				वेतन	एल० टी० सी०	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	मशीनरी एवं उपकरण	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	मोटरगाडियां इंधन एवं मरम्मत			विविध प्रभार	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		विपन्न कोड	49N270180 001010101	49N270180 001010112	49N270180 001010213	49N270180 001010315	49N270180 001010317	49N270180 001010323	49N270180 001010333	49N2701800 01010442	49N270180 001010760				
		पूर्व का आवंटन	229.400	0.500	4.000	5.000	1.500	1.500	1.500	4.000	1.500	248.900			
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	2.000	0.800 [#]	-0.800	0.000	0.000	0.000	0.000	2.000	# कृपया foot note देखें।		
		कुल आवंटन	229.400	0.500	6.000	5.800	0.700	1.500	1.500	4.000	1.500	250.900			
1	अवर सचिव - सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, राँची।														

कुल अतिरिक्त आवंटित राशि- रुपये दो लाख मात्र

नोट: श्री सुधीर कुमार, नियत अनुबंध पर कार्यरत कम्यूटर ऑपरेटर, जल संसाधन विभाग के अनुमान्य वेतन के भुगतान हेतु।

(सुरेश प्रसाद भगत)
सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन वारसिया)
उप सचिव (अभि.)

(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)

(अविनाश कुमार)
सचिव